

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद
(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या : 15/2025

दायर दिनांक : 09.04.2025

निर्णय दिनांक : 17.02.2026

—: अनवान :-

1. ग्राम पंचायत सकरावास, जरिये प्रशासक रीना सरगरा पिता रमेश सरगरा निवासी मदारा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द(राज.)
2. ग्राम पंचायत सकरावास, जरिये ग्राम विकास अधिकारी सुरेश शर्मा पिता चुन्नीलाल शर्मा निवासी व्यास मोहल्ला तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द(राज.)

— प्रार्थीगण/निगराकार

बनाम

श्रीमती मांगी बाई पति धनराज सरगड़ा निवासी सकरावास, तहसील रेलमंगरा, जिला राजसमन्द (राज.) — गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत निरस्त करने पट्टा दिनांक 17/01/2025 पट्टा संख्या 379 ग्राम पंचायत सकरावास

उपस्थित:-

- 1— श्री शैलेन्द्र सिंह शक्तावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
- 2— श्री भरत पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार


:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 379 दिनांक 17.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्दर हल्के आबादी ग्राम पंचायत सकरावास तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द में एक भूखण्ड पूर्व से पश्चिम 30 फिट, उत्तर से दक्षिण 45 फिट कुलिया 1350 वर्गफिट की होकर इन पड़ोसों के मध्य स्थित है। पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में मिट्टू लाल का मकान, उत्तर में पड़त आबादी, दक्षिण में अनिल भांड का मकान है। गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 111/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त भूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 379 दिनांक 17/01/2025 को जारी किया गया। गैर निगराकार द्वारा किये गये आवेदन एवं शपथपत्र

में दिनांक व स्थान का अंकन नहीं है। जो कि जाब्ता दिवानी के नियमों के विरुद्ध होकर किसी भी प्रकार कि आवेदन की श्रेणी में नहीं आता है। जिससे प्रश्नगत पत्रावली में कोई आवेदन शपथ पत्र प्राप्त होना नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत पट्टा जारी होने के पश्चात् निगराकार द्वारा अपने विधिक परामर्श दाता से विधिक जानकारी प्राप्त की तो विधिक परामर्शदाता द्वारा दी गई विधिक राय के अनुसार ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा विधि के ज्ञान के अभाव में जारी कर दिया गया। गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया वस्तुतः गैर निगराकार उक्त पट्टा प्राप्त करने की विधिक पात्रता नहीं रखता था फिर भी गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन पेश कर पट्टा प्राप्त कर लिया गया। जिसमें पात्रता संबंधी विधिक पात्रता न होने से उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। आवंटनकर्ता ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की सख्त पालना नहीं होने के कारण एक विधिक त्रुटि हुई है। जिससे उक्त पट्टा संख्या 379 दिनांक 17/01/2025 से क्षुब्ध होकर निगरानी आप न्यायालय में इन आधारों पर प्रस्तुत है कि गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 111/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त भूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 379 दिनांक 17/01/2025 को जारी किया गया। जो विधि अनुसार न होकर निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत पट्टा विधिविरुद्ध होकर शुद्धता, वैधता, औचित्यता लिये हुए नहीं होकर निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार को उक्त भू खण्ड जरिये पट्टा संख्या 379 दिनांक 17/01/2025 को आवंटित हुआ जिसके विधिसंगत न होने की जानकारी ग्राम पंचायत दिनांक 10/03/2025 को हुई। जिससे उक्त भूखण्ड के आवंटन को निरस्त फरमाने हेतु निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार मांगी बाई के नाम जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा दिनांक 17/01/2025 पट्टा संख्या 379 ग्राम पंचायत सकरावास को निरस्त फरमाया जाकर गैर निगराकार को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाये कि प्रश्नगत शून्य पट्टे के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करे तथा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप अतिक्रमण नहीं करे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भरत पालीवाल ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता गैर निगराकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विपक्षीया द्वारा नियमानुसार पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पुरी प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का निर्धारित शुल्क विपक्षीया द्वारा जमा कराने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि गैर निगराकार द्वारा कोई तात्विक तथ्यों को छिपा कर आवेदन पेश किया है। विपक्षीया को पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का पालन किये जाने के पश्चात् जारी हुआ है जो निरस्त होने योग्य नहीं है। आवेदन के साथ प्रस्तुत



शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित होकर जिस दिनांक को शपथ पत्र निष्पादित हुआ वह दिनांक नोटेरी प्रमाणित कर्ता द्वारा अंकित की गई है। शपथ पत्र में कोई स्थान रिक्त होने से किसी भी नियमन का उल्लंघन नहीं होता है। गैर निगराकार द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। निगराकार द्वारा गैर निगराकार के आवेदन को स्वीकार करते हुए पट्टा जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टा जारी किया है इस कारण उक्त पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। निगराकार को गलत रूप से विधिक राय दी गई है। गैर निगराकार द्वारा कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाये गये है। गैर निगराकार पट्टा प्राप्त करने की सभी विधिक पात्रताएँ रखती है। उसके द्वारा आवेदन करने में कोई तथ्य नहीं छिपाये है इस कारण से उक्त पट्टा नियमानुसार निरस्त नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया है। पट्टा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को उक्त आवेदन एवं पट्टे की जानकारी प्रारम्भ से ही थी इस कारण उक्त निगरानी समय निगरानी समय निकलने के पश्चात् प्रस्तुत की गई है जो निरस्त होने योग्य है। निगरानीकार द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश उक्त निगरानी याचिका पेश की गई है। गैर निगराकार द्वारा नियमानुसार आवेदन पेश किया गया। उसके पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा कोरम में प्रस्ताव लिया जाकर नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उसके पश्चात् आपत्ति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। उसके पश्चात् नियमानुसार भूमि की दर तय की गई जो गैर निगराकार द्वारा जमा करवा दी गई। उसके पश्चात् गैर निगराकार को पात्र मानते हुए उसके पक्ष में पट्टा जारी किया है। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में यदि कोई कॉलम रिक्त है तो उससे आवेदन एवं पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा कानून निरस्त नहीं किया जा सकता है। भूमि आबादी में दर्ज है। गैर निगराकार पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है। उक्त भूमि के संबंध में और कोई विवाद नहीं है। अनिगरानीकार अनुसूचित जाति से संबन्धित है। गैर निगराकार द्वारा नियमानुसार राशि भी जमा करवाई है। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 379 दिनांक 17.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्दर हल्के आबादी ग्राम पंचायत सकरावास तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द में एक भूखण्ड पूर्व से पश्चिम 30 फिट, उत्तर से दक्षिण 45 फिट कुलिया 1350 वर्गफिट की होकर इन पड़ोसों के मध्य स्थित है। पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में मिट्टू लाल का मकान, उत्तर में पड़त आबादी, दक्षिण में अनिल भांड का मकान है। गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 111/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त भूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 379 दिनांक 17/01/2025 को जारी किया गया। गैर निगराकार द्वारा किये गये शपथपत्र में दिनांक व स्थान का अंकन नहीं है। जो कि जाब्ता दिवानी के नियमों के विरुद्ध होकर किसी भी प्रकार कि आवेदन की श्रेणी में नहीं आता है। जिससे प्रश्नगत



पत्रावली में कोई आवेदन शपथ पत्र प्राप्त होना नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत पट्टा जारी होने के पश्चात् निगराकार द्वारा अपने विधिक परामर्श दाता से विधिक जानकारी प्राप्त की तो विधिक परामर्शदाता द्वारा दी गई विधिक राय के अनुसार ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा विधि के ज्ञान के अभाव में जारी कर दिया गया। गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया वस्तुतः गैर निगराकार उक्त पट्टा प्राप्त करने की विधिक पात्रता नहीं रखता था फिर भी गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन पेश कर पट्टा प्राप्त कर लिया गया। जिसमें पात्रता संबंधी विधिक पात्रता न होने से उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। आवंटनकर्ता ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की सख्त पालना नहीं होने के कारण एक विधिक त्रुटि हुई है। जिससे उक्त पट्टा संख्या 379 दिनांक 17/01/2025 से क्षुब्ध होकर निगरानी आप न्यायालय में इन आधारों पर प्रस्तुत है कि गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 111/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त भू खण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 379 दिनांक 17/01/2025 को जारी किया गया। जो विधि अनुसार न होकर निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत पट्टा विधिविरुद्ध होकर शुद्धता, वैधता, औचित्यता लिये हुए नहीं होकर निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार को उक्त भू खण्ड जरिये पट्टा संख्या 379 दिनांक 17/01/2025 को आवंटित हुआ जिसके विधिसंगत न होने की जानकारी ग्राम पंचायत दिनांक 10/03/2025 को हुई। जिससे उक्त भूखण्ड के आवंटन को निरस्त फरमाने हेतु निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार मांगी बाई के नाम जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा दिनांक 17/01/2025 पट्टा संख्या 379 ग्राम पंचायत सकरावास को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पुरी प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का निर्धारित शुल्क विपक्षीया द्वारा जमा कराने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि अनिगरानीकार द्वारा कोई तात्विक तथ्यों को छिपा कर आवेदन पेश किया है। विपक्षीया को पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। अनिगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का पालन किये जाने के पश्चात् जारी हुआ है जो निरस्त होने योग्य नहीं है। आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित होकर जिस दिनांक को शपथ पत्र निष्पादित हुआ वह दिनांक नोटेरी प्रमाणित कर्ता द्वारा अंकित की गई है। शपथ पत्र में कोई स्थान रिक्त होने से किसी भी नियमन का उल्लंघन नहीं होता है। अनिगरानीकार द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। निगराकार द्वारा अनिगरानीकार के आवेदन को स्वीकार करते हुए पट्टा जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टा जारी किया है इस कारण उक्त पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सब्यय निरस्त फरमाई जावे।




अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारणीय प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा विपक्षी श्रीमती मांगी बाई के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 379 दिनांक 17.01.2025 के विरुद्ध उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वयं प्रार्थी (जारीकर्ता) द्वारा प्रस्तुत की गई है, निगरानी प्रार्थना पत्र में पट्टा निर्गमन प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटियां एवं राजस्थान पंचायती राज नियमों की अपूर्ण अनुपालन की बात स्वीकार की गई है एवं विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। जो विधी के विपरीत है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया उसमें ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों एवं विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 379 दिनांक 17.01.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ ग्राम पंचायत सकरावास को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि वादग्रस्त भू खण्ड के संबंध में साक्ष्य सबुत व दस्तावेजों का अवलोकन कर राजस्थान पंचायती राज नियमों एवं विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही संपादन करें।


(नरेश बुनकर) 17/02/2026
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक: 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नरेश बुनकर) 17/02/2026
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द